न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 222/2012

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. कैलाशकंवर पत्नि महावीरसिंह		1. राजस्थान सरकार जरिए
2. महावीरसिंह पुत्र तेजसिंह		तहसीलदार, जैतारण
3. गोपालसिंह पुत्र तेजसिंह		2. पटवारी हल्का-फूलमाल
4. दुर्गाकंवर पत्नि भंवरसिंह		तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
जातियान-राजपूत, निवासी-फूलमाल		
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)		

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.26.10.2012**

उपस्थितः. 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादीगण।

2. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर उपस्थित।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 14/03/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-फूलमाल, तहसील-जैतारण में स्थित वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 201 रकबा 03-00 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 202 रकबा 2-15 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 201/456 रकबा 12-03 बीघा किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 211/482 रकबा 114-03 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल किता-4 कुल रकबा 132-03 बीघा की आई हुई हैं। उक्त आराजी की कृषि भूमि का पर्चा लगान छुट भाई भवानी पुत्र मंगसिंह बागीयाझ के नाम से जारी हुआ था। उक्त कृषि भूमि पर वादीगण का सेटलमेन्ट से लेकर आज तक मौके पर कब्जा काश्त हैं और शांतिपूर्वक ऐज ऑफ राईट के बिना किसी रोक के उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। नकल सेटलमेन्ट विभाग पर्चा लगान सम्वत् 2011 से 2030 तक एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिवाद पत्र के साथ संलग्न की हैं, जो वाद पत्र का एक भाग माना जावें। सम्वत् 2053 से 2056 में स्वर्गीय तेजसिंह के फौत होने पर इसके जायन्दा पुत्रगण के नाम नामान्तरकरण संख्या 754 दिनांक 06/03/1998 के द्वारा खसरा नम्बर 211/482 की रकबा 70-00 बीघा की कृषि भूमि में वादीगण में वादीगण संख्या 2 महावीरसिंह व वादी संख्या 3 गोपालसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुई। नकल प्रमाणित प्रति जमाबन्दी वाद पत्र के साथ पेश की हैं एवं खसरा नम्बर 211 मी. रकबा 70-00 बीघा कृषि भूमि वादी संख्या 2 महावीरसिंह व वादी संख्या 3 गोपालसिंह के नाम सम्वत् 2057 से 2060 में राजस्व रेकर्ड में अंकित हैं, जो नकल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिवाद पत्र के साथ पेश हैं, जिसे वाद पत्र का एक भाग माना जावें। फूलमाल के चालू नक्शा लट्टा में तथा सेटलमेन्ट नक्शा सीट में खसरा नम्बर 211/1 रकबा 114-15 बीघा हैं। जबकि वास्तव में मौका स्थिति के माफिक खसरा नम्बर 211/482 रकबा 114-15 बीघा होना चाहिये। वक्त सेटलमेन्ट की लिपिकीय भूमि के कारण नक्शा सीट में खसरा नम्बर 211/482 के बजाय खसरा नम्बर 211/1 अंकित कर दिया गया था। जो

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

राजस्व अधिकारी प्रतिवादीगण की लिपिकीय भूल के कारण स्लीप ऑफ पेन होने से रोंग एन्ट्री हो गई। जिसे जरिये घोषणा के दुरूस्त किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक हैं। उक्त वर्णित आराजी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 211/482 रकबा 114-15 बीघा सेटलमेन्ट की नकल में अंकित हैं। इसके ओधार पर पास बुक दिनांक 16/04/1975 को जारी हुई, उसमें भी यही खसरा अंकित हैं और इसके साथ नक्शा ट्रेस में भी खसरा नम्बर 211/482 ही अंकित हैं। परन्तु प्रतिवादीगण एवं राजस्व अधिकारियों की गलती से सैटलमेन्ट के समय लट्टा सीट बनाते समय लिपिकीय त्रुटि वश लट्टा सीट में खसरा नम्बर 211/482 की जगह 211/1 खसरा नम्बर अंकित कर दिया, जो गलत हैं। इसके जगह खसरा नम्बर 211/482 दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 तहसीलदार जैतारण के समक्ष दिनांक 26/07/2012 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 हल्का पटवारी फूलमाल को नियमानुसार जांच करके रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। जिस पर हल्का पटवारी ने जांच रिपोर्ट पेश की। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार, जैतारण ने श्रीमान् सहायक कलक्टर को उक्त आराजी का खसरा नम्बर 211/1 को दुरूस्त करके इसकी जगह खसरा नम्बर 211/482 सही खसरा नम्बर राजस्व रेकर्ड में एवं लट्टा नक्शा ट्रेश में अंकित करने हेतु अभिशंषा पत्र के जरिये श्रीमान् को अग्रेषित किया गया। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली श्रीमान् जी के समक्ष दुरूस्त करने हेतु प्रस्तुत हुई, तो श्रीमान् ने पुनः तीन बिन्दुओं पर कमी पूर्ति करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार, जैतारण ने जरिये पत्र क्रमांक/राजस्व/2012/2469 दिनांक 31/08/2012 को लिखा गया, जो उक्त पत्र प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/भू.अ./12/2600 दिनांक 06/09/2012 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 हल्का पटवारी को भेजा गया। हल्का पटवारी फूलमाल ने राजस्व रेकर्ड वादीगण को खातेदार काश्तकार की सहमति बाबत् शपथ-पत्र एवं जांच रिपोर्ट श्रीमान् के समक्ष उक्त आदेश की पालना में दिनांक 14/09/2012 को पेश की, जो उक्त सम्पूर्ण पत्रावली श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन हैं, जिसे वक्त जरूरत तलब करवाई जायेगी। प्रतिवादी संख्या 2 हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड की जांच करके जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हैं कि ग्राम फूलमाल के खातेदार वादीगण संख्या 2 महावीरसिंह व 3 गोपालसिंह पुत्र तेजसिंह राजपूत के नाम खसरा नम्बर 211/482 रकबा 114-15 बीघा जमाबन्दी में अंकित हैं। जिसमें से 44-13 बीघा भूमि कैलशकंवर पत्नि महावीरसिंह तथा दुर्गाकंवर पत्नि भंवरसिंह राजपूत के नाम दर्ज हैं, जो वादी संख्या 1 व 4 हैं। जिसके खसरा नम्बर 211/482 अंकित हैं, जो सही हैं। शेष भूमि गोपालसिंह, महावीरसिंह पुत्र तेजसिंह के नाम खसरा नम्बर 211/482 के बजाय कम्प्यूटर में भूल की वजह से जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 में खसरा नम्बर 211/528 रकबा 70-00 दर्ज हो गया, जो कानूनी रूप से दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं। यदि दुरूस्त नहीं किया गया तो वादीगण के हितों पर कुठाराघात होगा। इसलिये उक्त आराजी खसरा नम्बर की कृषि भूमि का खसरा नम्बर दुरूस्त करवाने हेतु दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया जा रहा हैं, जो घोषणा की डिक्री वादीगण के हक में फरमावें। आधार वर्ष 2005 की प्रथम कम्प्यूटर जमाबन्दी बनाते वक्त खसरा नम्बर 211/482 के बजाय खसरा नम्बर 211/528 सेवन से अंकित हो गया। जिसका रकबा 70-00 खातेदार गोपालसिंह व महावीरसिंह पिसरान् तेजसिंह हैं। उक्त प्रतिवादी को सही अंकित करने पर खसरा नम्बर 211/528 के बजाय खसरा नम्बर 211/482 किया जाना उचित हैं। शेष भूमि खसरा नम्बर 211/482 में कैलाशकंवर पत्नि महावीरसिंह व दुर्गाकंवर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पत्नि भंवरसिंह दर्ज हैं, जो सही हैं। गाम फूलमाल के चालू नक्शा लट्ठा में तथा सैटलमेन्ट नक्शा सीट में खसरा नम्बर 211/1 रकबा 114-15 बीघा हैं। जबकि वास्तव में मौका स्थिति के माफिक खसरा नम्बर 211/482 रकबा 114-15 बीघा होना चाहिये था। सैटलमेन्ट की लिपिकीय भूल के कारण नक्शा सीट में खसरा नम्बर 211/482 के बजाय 211/1 अंकित कर दिया गया था, जो दुरूस्त किया जाने का आदेश फरमावें। चालू जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 तक के खाता संख्या 56 में वादी संख्या 2 महावीरसिंह व 3 गोपालसिंह पुत्रगण तेजसिंह के नाम अंकित खसरा नम्बर 211/528 रकबा 70-00 बीघा के बजाय खसरा नम्बर 211/482 अंकित किया जाना उचित हैं एवं नक्शा लट्ठा ट्रेस में भी खसरा नम्बर 211/1 के बजाय सही खसरा नम्बर 211/482 माफिक जमाबन्दी अनुसार किया जाना उचित हैं, रकबें में कोई अन्तर नहीं हैं तथा खातेदारों भी सहमति पत्र भी वाद पत्र के साथ संलग्न हैं, जो वाद पत्र को एक भाग माना जावें। वादीगण के हक में प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन बखूबी साबित हैं। यदि उक्त आराजी के खसरा नम्बर को दुरूस्त नहीं किया गया, तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में संभव नहीं होगी। बार-बार कार्यवाही करने से खर्चे से वादीगण को जैर बार होना पड़ेगा। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिये घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद श्रीमान् की सेवा में पेश् किया हैं। बिनायवाद दिनांक 13/03/2012 को वादीगण बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी के पास जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु गया। तब इस बात की जानकारी हुई। इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त दिनांक को बिनायदावा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो अन्दर म्याद श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में होने से वाद पत्र पेश किया जा रहा हैं। इस प्रकार माफिक दावा वाद डिकी किया जाने तथा मौजा-फूलमाल तहसील जैतारण में स्थित ख.नं. 211/482 रकबा 144 बीघा 15 बिस्वा भूमि जमाबन्दी में अंकित थी, जिसमें से रकबा 44=13 बीघा भूमि वादी कैलाश कंवर महावीर सिंह तथा दुर्गाकंवर पत्नि भंवरसिंह के नाम दर्ज हैं, के ख.नं. 211/482 सही हैं। शेष भूमि महावीर सिंह व गोपालसिंह के नाम ख.नं. 211/482 के स्थान पर कम्प्यूटर में भूल की वजह से सम्वत् 2061 से 2064 की जमाबन्दी में त्रुटिवश ख.नं. 211/528 रकबा 70 बीघा दर्ज हो गया। जिसे पुनः दुरूस्त कर वर्तमान जमाबन्दी में 211/482 दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ हैं। प्रथम कम्प्युटर जमाबन्दी बनाते समय ख.नं. 211/482 के बजाय ख.नं. 211/528 सहवन से अंकित हो गया। इसी प्रकार मौजा-फूलमाल के चालू लट्ठा व सैटलमेन्ट नक्शा सीट में ख.नं. 211/1 रकबा 114=15 बीघा है, जबकि माफिक मौका स्थिति से नक्शा में ख.नं. 211/482 होना चाहिए था। जिससे सैटलमेन्ट की लिपिकीय भूल को दुरूस्त कर ख.नं. 211/1 के स्थान पर 211/482 दर्ज किये जाने एवं वादीगण के कब्जे में दखलन्दाजी करने से प्रति0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिए सम्मनस वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 को बावजूद सम्मनस तामिली/सूचना बार बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 18.07.2013 को की गई। प्रति0 सं0 1 की ओर से सरकारी पैरोकार नायब तहसीदार, जैतारण दिनांक 19.11.2012 को उपस्थित आए हैं। आज 14.03.2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रति0 सं0 1 उपस्थित आए, ज0दा0 पेश नहीं करना चाहने से ज0दा0 बन्द किया गया। बहस वकील वादीगण सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेज यथा भू प्रबंध विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान, राजस्व विभाग द्वारा जारी पारबुक दिनांक 16.04.1975, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी 2053-56 एवं 2057-60 तथा तहसीलदार (भू0अ0) जैतारण के पत्रांक भू0अ0/2314 दिनांक 17.08.2012 द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट मय दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा जमाबन्दी व नक्शा में एक रूपता की जाना उचित दर्शाते हुए प्रस्तुत हुई हैं। जांच रिपोर्टादि में शपथ-पत्र तस्दीक सुदा क्रमशः कैलाश कंवर महावीरसिंह, गोपालसिंह एवं दुर्गाकंवर वादीगण के पूर्व में प्रस्तुत हो चुके है, की छायाप्रतियां भी प्रेषित की गई है। तहसीलदार जैतारण ने अपने पत्रांक/भू0अ0/2314 दिनांक 17.08.2012 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अंकित किया कि मौजा-फूलमाल की ख.नं. 211/482 जमाबन्दी में दर्ज है, परन्तु नक्शे में ख.नं. 211/1 दर्ज हैं। जबकि सैटलमेन्ट सम्बत् 2011 की मिसल बन्दोबस्त तथा पर्चा लगान में ख.नं. 211/482 दर्ज हैं, जबकि सैटलमेन्ट के नक्शे में ख.नं. 211/1 दर्ज है, जो आज की जमाबन्दी व नक्शे में उक्तानुसार ही दर्ज हैं। इस प्रकार तहसीलदार जैतारण ने सैट्लमेन्ट विभाग से हुई उक्त सद्भाविक भूल की दुरूस्ती किये जाने की अभिशंषा की हैं। जिससे तहसीलदार, जैतारण के पृथक से जबाब दावा की आवश्यकता प्रतीत ही नहीं होती हैं। फलस्वरूप तहसीलदार जैतारण ज0दा0 पेंश नहीं करना चाहने से आज बन्द हो चुका हैं।

बहस वकील वादीगण पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित समस्त तथ्य तहसीलदार जैतारण से प्रस्तुत उक्त अभिशंषा रिपोर्ट से संपुष्ट होते हैं। लिहाजा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना तथा वादीगण की विवादित आराजी की भूमि का वर्तमान जमाबन्दी में ख.नं. 211/528 रकबा 70 बीघा के स्थान पर 211/482 रकबा 70 बीघा दुरूस्ती दर्ज किया जाना तथा वर्तमान नक्शा में 211/1 के स्थान पर भी तदानुसार 211/482 दुरूस्त दर्ज किये जाने हेतु तहसीदार जैतारण को आदेशित किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा फूलमाल तहसील जैतारण में स्थित विवादित भूमि पर्चा लगान में अंकन अनुसार वास्तविक ख.नं. 211/482 रकबा 114 बीघा 15 बिस्वा बा0ा भूमि दर्ज है, जो तहसीलदार जैतार्ण की अभिशंषा रिपोर्टानुसार बखूबी प्रमाणित होने से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज ख.न. 211/528 रकबा 70 बीघा बा0दो. के स्थान पर ख.नं. 211/482 रकबा 70 बीघा बा0दो0 तथा नक्शे में ख.नं. 211/1 के स्थान पर वास्तविक ख.नं. 211/482 का दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी एवं नक्शे में जरिए शुद्धि पत्र दुरूस्ती किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर शामिल मिसल किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय तहसीलदार, जैतारण के पत्र दिनांक 17/08/2012 अभिशंषा रिपोर्ट मय दस्तावेज की छाया प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 14.03.2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :-

1. कैलाशकंवर पत्नि महावीरसिंह
2. महावीरसिंह पुत्र तेजसिंह
3. गोपालसिंह पुत्र तेजसिंह
4. दुर्गाकंवर पत्नि भंवरसिंह

जातियान-राजपूत, निवासी-फूलमाल तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जैतारण
2. पटवारी हल्का-फूलमाल तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:222/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर उपस्थित मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अ़मर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा फूलमाल तहसील जैतारण में स्थित विवादित भूमि पर्चा लगान में अंकन अनुसार वास्तविक ख.नं. 211/482 रकबा 114 बीघा 15 बिस्वा बा0ा भूमि दर्ज है, जो तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा रिपोर्टानुसार बखूबी प्रमाणित होने से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज ख.न. 211/528 रकबा 70 बीघा बा0दो. के स्थान पर ख.नं. 211/482 रकबा 70 बीघा बा0दो0 तथा नक्शे में ख.नं. 211/1 के स्थान पर वास्तविक ख.नं. 211/482 का दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी एवं नक्शे में जरिए शुद्धि पत्र दुरूस्ती किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय तहसीलदार, जैतारण के पत्र दिनांक 17/08/2012 अभिशंषा रिपोर्ट मय दस्तावेज की छाया प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14/03/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	-	
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी	-	
स्टाम्प वजह सबूत	3	00	महनताना वकील	-	
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान	-	
खर्चा गवाहान	2	00	फीस कमीश्नर	-	
फीस कमीश्नर	-		बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-		मुत्फरिक	-	
मिजानः-	8	00	मिजानः-	-NIL-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner